न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री अनूप सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 474/2007
दायर दिनांक :– 17.09.2007

अनवान

श्री हरलाल गोदपुत्र हिरा धाकड नि. काबरी हाल नि. बेरी तह. जहाजपुर
वादी.....

बनाम

1. श्री कालू पिता हरनाथ धाकड नि. बेरी तह. जहाजपुर
2. श्री कैलाश उर्फ महावीर पिता हरनाथ धाकड नि. बेरी तह. जहाजपुर
3. श्रीमति बाली पत्नि हरनाथ धाकड नि. बेरी तह. जहाजपुर
4. श्री गोवर्धन पिता रामा धाकड नि. बेरी तह. जहाजपुर
5. श्री नन्दू पत्नि नाथु खाती नि. बेरी तह. जहाजपुर
6. श्री गोदू पिता चन्द्रा माली नि. बेरी तह. जहाजपुर
7. श्री बालू पिता चन्द्रा माली नि. बेरी तह. जहाजपुर
8. तहसीलदार, जहाजपुर तह. जहाजपुर

प्रतिवादीगण.....

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 ए, 188 आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
श्री ओम प्रकाश मुन्दडा, एडवोकेट वादी

:: निर्णय :: दिनांक 04.01.2021

वादी का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम बेरी प. ह. बेरी तहसील जहाजपुर में स्थित आराजी नं. 349, 467 कुल किता 2 रकबा 2.16 बीघा स्थित है। यह भुमि राजस्व अभिलेख में हरनाथ मुत. हिरा, गोवर्धन पिता रामा धाकड के खाते स्थित है। खातेदार हरनाथ की मृत्यु हो चुकी है। प्रतिवादी सं. 1 से लगायत 3 हरनाथ के विधिक वारिसान है। ग्राम बेरी प. ह. बेरी में आ.न. 466 रकबा 0.15 बीघा भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेखो मे हरनाथ मु. हिरा गोवर्धन पिता रामा 1/2 नन्दू बेवा नाथु खाती 1/4 गोदू बालू पिता चन्द्रा 1/4 के खाते दर्ज हैं खातेदार हरनाथ की मृत्यु हो चुकी हैं जिसके वारिस प्रतिवादी सं. 1 से 3 हैं आ.न 349, 467, 466 में हरनाथ खातेदार दर्ज भुमि में पूर्व राजस्व अभिलेखो मे हिरा पिता बख्तावर धाकड के खाते दर्ज थी। प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पिता एवं प्रतिवादी सं. 3 के पिता ने राजस्व अधिकारी से मिली भगत कर अब अपने को हीरा का गोद पुत्र बताकर हिरा की अन्य कृषि भुमियो के साथ उक्त कृषि भूमि भी अपने नाम दर्ज करवा ली है। हिरा की पत्नि घीसी ने हरनाथ को गोद लिये जाने के संबध में कभी अपनी सहमति नही दी थी। इस कारण उक्त गोद प्रारम्भ से ही शून्य है घीसी ने वादी को दिनांक 17.08.1974 को गोद लिया था उक्त गोद का पंजीयन भी करवाया गया था इस पंजीकृत गोद नामे के आधार पर प्रकरण सं. 150/1984 निर्णय दिनांक 15.07.94 अनवानी घीसी बनाम हरनाथ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के निर्णय से

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

शेष कृषि भूमिया वादी के खाते दर्ज हो गई किन्तु आ.न. 349, 467, 466 नं. की कृषि की जानकारी पटवारी द्वारा वादी को नही देने से उक्त कृषि भूमि के संबध में वाद पेश नही किया जा सका व उक्त भूमियों हरनाथ के खाते दर्ज रह गई इस कारण इन कृषि भुमियों को हरनाथ के हिस्से के लिये वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत हैं प्रतिवादी सं. 4 से 7 को सहखातेदार होने से पक्षकार बनाया गया हैं प्रतिवादी सं. 8 भूमि धारी होने से औपचारिक पक्षकार बनाया गया हैं इनके विरूद्व कोई अनुतोष नही चाहा गया हैं। करीब 3 माह पूर्व प्रतिवादीगण 1 से 3 को उक्त भूमि अपने खाते दर्ज होने की जानकारी हुई जिस पर प्रतिवादीगण ने वादी के कब्जे मे दखल का प्रयास किया व कहा की जमीन हमारे खाते इस कारण हम कब्जा करेगे तब वादी ने राजस्व अभिलेखो की जानकारी की इस कारण वाद कारण दिनांक 16.05.07 को प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा करने की धमकी दिये जाने से वाद कारण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। इसलिये चरण सं. 1 व 2 में वर्णित आराजी नं. 349, 467, 466 में से हरनाथ के हक व हिस्से के स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की डिक्री तथा बाद घोषणा प्रतिवादीगण वादी के शांतिपूर्ण कब्जे कास्त में किसी प्रकार का दखल न करे न अपने नोकर ऐजेन्ट रिश्तेदारों से करावे की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण पारित कराये जाने की मांग की।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी सं. 1 से 3 की और से श्री अतुल जोशी, एडवोकेट द्वारा यु. टी. ली गई। प्रतिवादी सं. 5, 6, 7 के विरूद्व वकील वादी कोई कार्यवाही नही चाहते है। प्रतिवादी सं. 1 से 3 की और से अधिकार पत्र व जवाब प्रस्तुत नही किया जाने से दिनांक 04.03.2020 को जवाब बन्द किया गया।

वादीगण ने वाद पत्र की ताईद में जमाबन्दी सम्वत 2059 से 2062 की प्रति, जमाबन्दी सम्वत 2017 से 2020 की प्रति, तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा द्वारा प्र. सं. 150/84 रा. वाद घीसी बनाम हरनाथ में पारित निर्णय एवं डिक्री की प्रति प्रस्तुत की गई। जो पत्रावली के संलगन है।

वकील वादी की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने बताया की घीसी ने वादी को दिनांक 17.08.1974 को गोद लिया था उक्त गोद का पंजीयन भी करवाया गया था इस पंजीकृत गोद नामे के आधार पर प्रकरण सं. 150/1984 निर्णय दिनांक 15.07.94 अनवानी घीसी बनाम हरनाथ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के निर्णय से शेष कृषि भूमिया वादी के खाते दर्ज हो गई किन्तु आ.न. 349, 467, 466 नं. की कृषि की जानकारी पटवारी द्वारा वादी को नही देने से उक्त कृषि भूमि के संबध में वाद पेश नही किया जा सका व उक्त भूमियों हरनाथ के खाते दर्ज रह गई इस कारण इन कृषि भुमियों को हरनाथ के हिस्से के लिये चरण सं. 1 व 2 में वर्णित आराजी नं. 349, 467, 466 में से हरनाथ के हक व हिस्से के स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने हेतु निवेदन किया। मैने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन से स्पष्ट है की घीसी ने वादी को दिनांक 17.08.1974 को गोद लिया था उक्त गोद का पंजीयन भी करवाया गया था इस पंजीकृत गोद नामे के आधार पर प्रकरण सं. 150/1984 निर्णय दिनांक 15.07.94 अनवानी घीसी बनाम हरनाथ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के निर्णय से शेष कृषि भूमिया वादी के खाते दर्ज हो गई। जिसकी ताईद पत्रावली में प्रस्तुत निर्णय की प्रति से होती है। तथा वाद मे वर्णित आराजी उपरोक्त विवेचन के अनुसार चरण सं. 1 व 2 में वर्णित आराजी नं. 349, 467, 466 में से हरनाथ के हक व हिस्से के स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कराये जाने के अधिकारी है। जिससे न्यायालय वादी के वाद पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझता है।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

अतः वादी का वाद पत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है की ग्राम बेरी प. ह. बेरी तहसील जहाजपुर की आराजी ख. सं. 349, 467 कुल किता 2 रकबा 2.16 बीघा एंव आ.न. 466 रकबा 0.15 बीघा भुमि में हरनाथ के हक व हिस्से के स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री मुर्तिब की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 04.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner